न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द, पो. सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा मैसर्स:—कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, खटवा रोड, लालसोट।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक:— 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.07.2020 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्स:— कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, खटवा रोड लालसोट जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय संकलन केन्द्र पर विक्रेता श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द, पो. सूरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के दुध संकलन केन्द्र पर एक एल्यूमीनियम के कैन में करीब 30 लीटर दूध रखा हुआ था जिसे विक्रेता ने मिश्रित दूध एवं आम जनता को बिक्री हेतु होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध हिलामिलाकर एक साफ सूखी खाली स्टील की बाल्टी में खरीदा। जिसकी कीमत 90 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मिश्रित दूध को साफ सूखी खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर 40—40 बूंद फॉर्मेलिन की डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया तथा लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी. —2425 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री हितेश कुमार खण्डेलवाल कनिष्ठ सहायक मुख्यालय द्वारा दिनांक 31.07.2020 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 31.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 31.07.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./375/एक्ट/2020/446 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार यह नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि दिनांक 30.7.2020 को मैसर्सः– कृष्णा दूध डेयरी से लिये गये मिश्रित दूध के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./375/एक्ट/2020/446 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त नमूने में बी. आर. रीडिंग 43.7 प्राप्त हुई है। जो कि 40.0 से 43.0 के बीच होनी चाहिये थी। तय मानको से थोडी सी अधिक बी. आर. रीडिंग आने का कारण यह नमूना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावें।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि दिनांक 30.7.2020 को हमारी दुकान कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, खटवा रोड लालसोट से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था। जो कि जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त सैम्पल बी. आर. रीडिंग तय मात्रा से थोडी सी अधिक आने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। इसके अलावा नमूने में मिल्क फैट की मात्रा एवं अन्य जांच रिपोर्ट तय मानको के अनुसार सही पाई गई है। बी. आर. रीडिंग जांच रिपोर्ट मे मामूली सी ज्यादा पाई गई है। हमारे द्वारा ग्रामीण परिवेश के पशुपालको से दूध खरीदा जाता है एवं उसी प्रकार से विक्रय किया जाता है। बी. आर. रीडिंग मामूली सी ज्यादा आने के कारण सबस्टैण्डर्ड कर दिया गया है। ग्रामीण परिवेश के पशुपालक दूध जिस कैन में लेकर आते है

उसमें किसी अन्य तरल पदार्थ की मामूली सी मात्रा रह जाने के कारण दूध की बी. आर. रीडिंग मामूली सी ज्यादा आई है। हमारी ओर से दूध में कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है जो कि दूध विक्रय कर अपनी ओर अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./375/एक्ट/2020/446 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना बी. आर. रीडिंग थोडी सी ज्यादा आने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड मिश्रित दूध का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड मिश्रित दूध का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द पो. सूरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा पर 3000/-(अक्षरे तीन हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 15.02.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ 100-102 दिनांकः- 15 .02.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम श्यामपुरा खुर्द पो. सूरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा